राज्यपाल का अभिभाषण

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू (राज्यपाल) : माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण, झारखण्ड की चतुर्थ विधानसभा के इस 17वें विशेष सत्र में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। कल ही माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस नवनिर्मित झारखण्ड विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया। राज्य विधानमंडल के प्रमुख होने के नाते मुझे आज इस नए विधानसभा भवन के निर्मित होने पर अत्यन्त प्रसन्नता एवं गौरव है।

2. अवगत कराया गया है कि झारखण्ड विधानसभा का यह नवनिर्मित भवन National Building Code-215 के आलोक में तैयार किया गया है। लगभग 39 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त GRIHA 3 STAR के अनुरूप Green Building की अवधारणा से परिपूर्ण यह भवन, सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बना एक भव्य भवन ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र का जीवंत मन्दिर है। यह उन लोगों के सपनों और अभिलाषाओं का जीता-जागता प्रमाण है, जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं।

3. इस भवन का निर्माण Energy Saving के नवीनतम तकनीक पर आधारित होना अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का कार्य करेगा। इस भवन में वर्षा जल संचयन एवं Water Recycling Plant द्वारा जल संरक्षण को भी महत्व दिया गया है। इस भवन में झारखण्ड राज्य की कला-संस्कृति एवं प्रचलित चित्रकारी को पर्याप्त स्थान देना सराहनीय है।

4. 15 नवम्बर, 2000 को झारखण्ड का भारतीय संघ के 28वें राज्य के रूप में गठन हुआ और यहाँ के विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस विधानसभा के सभी पुराने और वर्त्तमान सदस्यों ने राज्यहित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं तथा जनहित की समस्याओं के निदान एवं राज्य के विकास की दिशा में कई सफलताएँ भी अर्जित की हैं, लेकिन उस गति को हम सभी को दलगत भावना से ऊपर उठकर और तेज करने की आवश्यकता है।

5. "हम भारत के लोग" यानि "We the people of India" हमारे संविधान की प्रस्तावना, इन्हीं शब्दों से शुरू होती है। हमें यह याद रखना होगा कि प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और उनकी सेवा हेतु ही आप सब इस विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। विधानसभा सदस्य के रूप में आपको राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का एकाधिकार है जिनका सीधा संबंध लोगों और उनके जीवन के कल्याण से है। विधानसभा का दायित्व है कि राज्य का सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होने के नाते लोगों की इच्छा को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु कार्य करे। अतः विधायक के रूप में आपका यह मूल कर्तव्य है कि आप कार्यपालिक के कार्य निष्पादन की निगरानी करें और लोगों की समस्य़ाओं के प्रति सजग, सचेत तथा जवाबदेह रहें।

6. कार्यपालिका संविधान के अंतर्गत विधायिका के समक्ष किए गए कार्यों का आवश्यकतानुसार ब्यौरा प्रस्तुत करती है, लेकिन प्रश्न यह है कि "आप एक विधानसभा सदस्य के रूप में कितने प्रभावी तरीके से सभा अथवा समिति में सरकारी कार्यों की गहन जाँच करने में समर्थ होते हैं।" इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि जनता अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि का चयन बहुत अपेक्षा, आशा और विश्वास के साथ करती है। यह प्रतिनिधि उनकी समस्याओं के निराकरण तथा क्षेत्र के विकास के उत्तरदायी होते हैं। देश व राज्य के विकास की गति के लिए संसद एवं विधानमंडल को ही जिम्मेदार माना जाता है, इस बात का ध्यान हमेशा हमारे सभी विधायकगण और मंत्रिमंडल के सदस्यगण रखें।

7. Social Media में वर्तमान व्यापक दौर में जनता यह देखती और चिंतन करती है कि अन्य राज्यों में जनता के लिए कौन-सी कल्याणकारी योजनाएँ संचालित हो रही हैं, इसके क्या प्रभाव हुए हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त होने पर इसको अपने यहाँ भी अपनाने की अपेक्षा करती है, इसलिए हमारे विधायकों को भी इस मामले में सचेष्ट रहना चाहिए।

उन्हें अपने यहाँ संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ अन्य प्रदेशों में संचालित योजनाओं से अच्छी तरह अवगत रहना चाहिए।

8. विधानमंडल को सदैव सचेष्ट रहना है कि जनहित हेतु आवश्यकताएँ क्या हैं, उनकी समस्याएँ क्या हैं, ताकि उसके अनुरूप नीतियाँ बनाई जा सकें। जन-प्रतिनिधियों को जनता से राय लेकर और उनकी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से जानकर उन्हें मूर्त्त रूप प्रदान करने की दिशा में सक्रिय रहने की आवश्यकता है। उन्हें अपने कार्यों में पारदर्शिता रखनी होगी तथा लोगों से अच्छी तरह पेश आना होगा। विभिन्न योजनाओं के सन्दर्भ में क्षेत्र के लोगों से परिचर्चा भी करनी चाहिए।

9. हमारे प्रतिनिधियों की कोशिश होनी चाहिए कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचे। हमारे जन-प्रतिनिधियों में भी एक स्वस्थ Competition होना चाहिए कि किनके क्षेत्र के लोग अधिक खुशहाल हैं और कहाँ सबसे बेहतर तरीके से योजनाएँ संचालित हो रही हैं। जन-प्रतिनिधियों का आपस में एक-दूसरे से मित्रवत् होकर अपने क्षेत्र की भौगोलिक दशा की परिचर्चा करते हुए विशिष्ट योजनाओं के सन्दर्भ में चर्चा करनी चाहिए। हाल ही में, मैं संथाल परगना प्रमण्डल के चार दिवसीय दौरे पर गई थी। इस क्रम में मैंने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली और लोगों के बीच गई। आमजन अपनी समस्याओं को सफल बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं।

10. किसी कार्य में कठिनाई है तो जनता को उन जटिलताओं से अवगत कराएँ। जनता अपने जन-प्रतिनिधि को पूर्णतः ईमानदार समझे, ऐसा माहौल बने। राजराज्य की स्थापना की दिशा में जन-प्रतिनिधि, जनता और पदाधिकारी एवं कर्मी का ईमानदार होना आवश्यक है।

11. मैं विधानसभा के सदस्यों से कहना चाहूँगी कि सदन के समक्ष कोई अधिनियम पारित करने हेतु लाया जाए तो उसके प्रारुप का वे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन एवं उस पर मंथन करें। इसके लागू होने से जनता पर पड़नेवाले प्रभाव का चिंतन करें, तभी आप जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। सदन में बेहतर ढंग से वाद-विवाद हो, सबकी बात सुनी जाए। सदस्यगण सदन के समक्ष जनहित में तथ्यपरक विषय लाएँ। सूचना तकनीक के इस युग में जनता अपने प्रतिनिधि के सदन में आचरण का आकलन करती है। हमारी जनता न केवल अपने क्षेत्र के विधायक द्वारा किए गए प्रश्न को गम्भीरतापूर्वक सुनती है, बल्कि सरकार का उस पर क्या विचार है, ये भी जानने को लालायित रहती है। इसे सदैव ध्यान में रखने की जरूरत है, इसलिए सदस्यों को बेहतर तरीके से प्रश्न करना चाहिए और सरकार को उचित जवाब देना चाहिए।

12. सरकार से यदि जनहित की कोई बात छूट जाए तो विपक्ष को इस ओर प्रभावी रूप से ध्यान दिलाना चाहिए, लेकिन इस क्रम में सदन की गरिमा को ठेस न पहुँचे, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है। विपक्ष विरोध करने के लिए विरोध न करें, अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएँ। स्वयं के प्रति ईमानदार रहें।

13. विधानसभा के सभी सदस्य, भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की, भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता को कायम रखने की एवं इस सदन के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाने की शपथ लेते हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह शपथ आपको अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु मार्गदर्शन करती रहेगी। इस विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के पश्चात् आप अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने आपको वोट ना भी किया हो। आप सभी लोगों के हितों और विश्वास के संरक्षक हैं। यह आपकी प्रमुख जिम्मेदारी है कि

आप, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाले कानून बनाएँ और जनमानस की समस्याओं का ईमानदारी से हल ढूंढें।

14. चतुर्थ विधानसभा की अवधि कुछ माह में समाप्त होने वाली है। चतुर्थ विधानसभा में बहुत-से सदस्य प्रथम बार चयनित होकर आए थे और युवा सदस्य भी देखने को मिले। अब आप सभी सदस्यों के कार्यों का आकलन जनता पुनः करेगी। हमारे लोकतंत्र की यही विशिष्टता है कि जनता में सारी शक्तियाँ निहित होती हैं।

15. राष्ट्र निर्माण एक अनवरत् प्रक्रिया है, जिसमें देश के हर नागरिक की अपनी-अपनी भूमिका है। हम सभी का कर्तव्य है कि देश के सम्मुख ऐसा आचरण प्रस्तुत करें जो आमलोगों के प्रेरणा स्रोत बने, ताकि लोग उसका अनुकरण करें। राष्ट्र निर्माण से जुड़े लक्ष्य समय पर पूरे हों, यह दायित्व हम सभी का है।

16. एक बार पुनः झारखण्ड विधानसभा के नवनिर्मित भवन के ससमय निर्माण हेतु आप सभी, विशेषकर उन सभी लोगों को बधाई देती हूँ जिन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर के निर्माण में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है।

17. झारखण्ड विधानसभा के सभी सदस्यों का आह्वान करती हूँ कि जनता-जनार्दन की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने, उनकी समस्याओं को सुलझाने हेतु लोकतंत्र के इस मंदिर में सार्थक वाद-विवाद करें, गुण-दोषों का आकलन करें और सर्वसम्मति से राज्य हित में निर्णय लेने का प्रयास करें।

18. मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि राज्य की इस सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था के सदस्यगण अपनी दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर अपनी समस्त ऊर्जा तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग राज्य की जनता की भलाई एवं बेहतरी के लिए करेंगे। झारखण्ड विधानसभा के सदस्य ऐसा आचरण प्रस्तुत करें कि यह

अन्य राज्यों के सदन के लोगों के लिए प्रेरणा का कार्य करे व अनुकरणीय बने।

19. अंत में, झारखण्ड राज्य के उज्जवल भविष्य हेतु सभी को मेरी शुभकामनाएँ।

जय हिन्द। जय झारखण्ड।